फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेट मु० [illegible]

नानूराम बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : 78 / 2020

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/5/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय " चुनाव कार्य " में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 9/5/24 को पेश हो।	
	9/5/2024	पत्रावली आज दिनांक 9/5/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।	
	30/5/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया अतः वाद वादी तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेट [illegible]	वादी अधिवक्ता प्रतिवादी 01.05.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:55:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 78/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक – 27.10.2020

1. नानूराम पुत्र मंगला
2. हनुमान पुत्र मंगला

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. तीजा देवी पत्नी हनुमान
2. दयाराम पुत्र हनुमान
3. बिरदा पुत्र सुण्डा
4. रामू पुत्र सुण्डा
5. रामकुंवार पुत्र नाथू
6. रामनारायण पुत्र नाथूराम
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूराम
8. शंकरलाल पुत्र हनुमान
9. नाथी देवी पत्नी छिगना

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– **(1) श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता वादी की ओर से**
(2) श्री गौरी शंकर शर्मा–अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Mee
Date: 2024.09.09 12:55:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक .05.2

हस्तगत वाद के संक्षिप्त ... है कि वाके ग्राम बुगालिया, पटवार क्षेत्र बिचपड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 198 रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित है व शेष हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। चूंकि प्रतिवादीगण की नीयत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरूद्ध मंशा रखने लग गये और मौके पर भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लाकर विवादित भूमि के विशेष भू–भाग की ओर इशारा करते हुए भूमि विक्रय करने के वार्तालाप करते हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूंकि दिनांक 25.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने एवं पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने के कुत्सित उद्देश्य से मौके पर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने में सफल नहीं हुये तो उन्होंने वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वह रातों–रात विशेष भू–भाग पर पत्थर, ईंट, बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डाल कर अधिक संख्या में कारीगर, मजदूर लगाकर पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करके रहेंगे, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो, तथा मौके पर खडे पेड, वृक्ष को खुर्द–बुर्द व नष्ट करके निर्माण करेंगे एवं भूमि का बेचान करेंगे, इत्यादि एलानियां धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की उक्त हरकत गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध है एवं विधि, उसकों ऐसा करने से निषिद्ध करती है। चूंकि विवादित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिए विवादित भूमि के प्रत्येक इंच अथवा प्रत्येक भाग पर वादीगण का कब्जा सह–हिस्सेदारान् की हैसियत से कानूनन चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ साजिश एवं साज–बाज कर रखी है और विवादित भूमि का कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये विधिक विभाजन करवाये बिना ही विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने, भूमि का कृषि से अकृषि में उपयोग–उपभोग करने पर आमादा है और येन–केन प्रकारेण वादीगण को उनके खातेदारी अधिकारों व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है ऐसी स्थिति में वादीगण को बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने का विधिक अधिकार हासिल है कि, वाद पत्र के मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम बुगालिया, पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 198 रकबा 1.55 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर का कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन किया [illegible] पर्चा लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक से कायम किया जावे। राजस्[illegible] जरिये तहसीलदार आमेर को लैण्ड होल्डर होने से प्र[illegible] में पक्षकार बनाया गया है, तथा उप पंजीयक आमेर को प्रतिवादीगण संख्या [illegible] के रूप में पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Mee
Date: 2024.09.09 12:55:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म्॰ जयपुर

पत्रावली लोकअदालत बैंच संख्या 6 मे पेश हुई। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर लोकअदालत बैंच संख्या 6 ने बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर दिनांक 13.08.2022 लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाकर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्षों की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. नानूराम पुत्र मंगला हि0 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोयतवाला व हनुमान पुत्र मंगला हि0 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 198/1 रकबा 0.7750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.7750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग में दर्शाया गया है।
2. दयाराम पुत्र हनुमान हि0 314/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार, बिरदा पुत्र सुण्डा हि0 2511/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा रामपुरा डाबडी, रामू पुत्र सुण्डा हि0 2512/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार, रामकुंवार पुत्र नाथू हि0 628/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोयतवाला, रामनारायण पुत्र नाथूराम हि0 628/7750 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई बैंक भैंसावा, लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूराम हि0 628/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन जयपुर शाखा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा, शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 314/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार, नाथी पत्नी छिगना हि0 215/7750 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 198/2 रकबा 0.7750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.7750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में सफेद रंग से दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम [illegible] हो। पत्रावली निर्णीत शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:55:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **मिथलेश मीणा (आर.ए.एस)**

वाद संख्या 83/2021

निर्णय दिनांक **30.05.2024**

1. नानूराम पुत्र मंगला
2. हनुमान पुत्र मंगला

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... **वादीगण**

बनाम

1. तीजा देवी पत्नी हनुमान
2. दयाराम पुत्र हनुमान
3. बिरदा पुत्र सुण्डा
4. रामू पुत्र सुण्डा
5. रामकुंवार पुत्र नाथू
6. रामनारायण पुत्र नाथूराम
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूराम
8. शंकरलाल पुत्र हनुमान
9. नाथी देवी पत्नी छिगना

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 30.05.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. नानूराम पुत्र मंगला हि0 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि[illegible] पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोयतवाला व हनुमान पुत्र मंगला हि0 1[illegible] जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 198/[illegible] 0.7750 हैक्टेयर [illegible] कुल किता 1 कुल रकबा 0.7750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग में दर्शाया गया है।

2. दयाराम पुत्र हनुमान हि0 314/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार, बिरदा पुत्र सुण्डा हि0 2511/7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा रामपुरा डाबडी, रामू पुत्र सुण्डा हि0 2512/7750 जाति जाट, सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh M
Date: 2024.09.09 12:55:00 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

देह खातेदार, रामकुंवार पुत्र नाथू हि0 628 / 7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोयतवाला, रामनारायण पुत्र नाथूराम हि0 628 / 7750 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई बैंक भैंसावा, लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूराम हि0 628 / 7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन जयपुर शाखा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा, शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 314 / 7750 जाति जाट, सा. देह खातेदार, नाथी पत्नी छिगना हि0 215 / 7750 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 198 / 2 रकबा 0.7750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.7750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में सफेद रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 30.05.2024 को जारी किया ।

दस्तखत ---

ओहदा ---

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:55:00 IST
Reason: SelfAttested